न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 16/2020 निर्णय दिनांक –10.06.2020

श्री नानालाल पिता श्री नन्दा जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सेमलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ। – प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री मनोहरसिंह पिता श्री भैरू सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सेमलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्री उंकारसिंह पिता श्री भैरू सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सेमलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री शान्तिलाल पिता श्री नारायण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सेमलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. श्री बगदीराम पिता श्री मोतीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सेमलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

–विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सेमलिया पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 79 की आराजी नं0 171 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नं0 172 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै0मु0चाह, आराजी नं0 173 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नं0 174 रकबा 0.780 हैक्टैयर आराजी नं0 179 रकबा 0.1400 आराजी नं0 180 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 1.5700 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 600/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा सेमलिया पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 79 की आराजी नं0 171 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नं0 172 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै0मु0चाह, आराजी नं0 173 रकबा 0.2100 हैक्टेयर आराजी नं0 174 रकबा 0.780 हैक्टैयर आराजी नं0 179 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नं0 180 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 1.5700 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.04 00:39:39 IST
Reason: SelfAttested